संख्या –3063/सोलह–प्रा0शि0–3–2003–46(8)/2002

प्रेषक,

जी0पी0 मिश्र
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2003**

विषय–उत्तर प्रदेश राज्य में एक एवं दो वर्षीय (फार्मेसी पाठ्यक्रम को छोड़कर) डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें खोलने, पूर्व स्थापित संस्थाओं में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, प्रवेश क्षमता में परिवर्तन तथा प्रदत्त अनुमोदन को यथावत् बढ़ाये जाने की नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या – 17312/कैम्प–नि0प्रा0शि0/नीति, दिनांक 10.11.2003 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके संदर्भित पत्र दिनांक 10.11.2003 द्वारा उत्तर प्रदेश में एक एवं दो वर्षीय डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें खोलने आदि के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव एवं संस्तुति पर शासन में विचार किया गया। प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत **एतद्विषयक शासनादेश संख्या–1809/प्रा0शि0–2002–46(8)/2002, दिनांक 15.07.2002 को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल,** उत्तर प्रदेश, राज्य में एक एवं दो वर्षीय (डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को छोड़कर) डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें खोलने, पूर्व स्थापित संस्थाओं में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, प्रवेश क्षमता में परिवर्तन एवं पूर्व प्रदत्त अनुमोदन को यथावत बढ़ाये जाने आदि के संबंध में निम्नानुसार नीति एवं प्रक्रिया को निर्धारित कर प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क–नीति का प्रभाव क्षेत्र एवं इसके अन्तर्गत पात्रता

(1) इस नीति के अन्तर्गत राजकीय, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित एवं निजी क्षेत्र में पालीटेक्निक संस्थायें खोली जा सकेंगी।

(2) निजी क्षेत्र में कोई भी ऐसी सोसाइटी संस्था खोल सकेगी, जो रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज अधिनियम 1860 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत हो। पंजीकृत सोसाइटी के अतिरिक्त किसी भी वैध ढंग से गठित ट्रस्ट, अर्धसरकारी संस्था अथवा निकाय द्वारा भी डिप्लोमा संस्थायें खोली जा सकेंगी।

(3) इस नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित करनें के लिए कार्यवाही की जा सकेंगी:–

1– नयी संस्था का खोला जाना।
2– पूर्व में स्थापित पुरानी संस्थाओं में नवीन पाठ्यक्रमों का संचालन।
3– पूर्व से स्थापित संस्था में चल रहे पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता में अभिवृद्धि किया जाना

अथवा कम किया जाना।

4— डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं से सम्बन्धित अन्य समस्त कार्य, जो इस नीति के प्राविधानों से आच्छादित होते हों।

(4) यह नवीन नीति आदेश जारी होने के दिनांक से अर्थात तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

<u>ख—पाठ्यक्रमों का विवरण</u>

1— इस नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित एक एवं दो वर्षीय पाठ्यक्रमों को, जिनकी सूची इस शासनादेश के संलग्नक—1 पर दृष्टव्य है, प्रारम्भ किया जायेगा। इस सूची में अंकित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त ऐसे पाठ्यक्रमों को भी निदेशक, प्राविधिक शिक्षा की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की स्वीकृति से प्रारम्भ किया जा सकेगा, जो कि समय की मांग के अनुरूप अद्यतन एवं रोजगारपरक भी हों। पूर्व से स्थापित संस्थाओं में पाठ्यक्रमों में समय—समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

<u>ग—नई संस्था खोलने की प्रक्रिया</u>

नवीन एक वर्षीय अथवा दो वर्षीय अथवा दोनो डिप्लोमा स्तरीय संस्था को खोलने हेतु आवेदन पत्र निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, राजकीय पालीटेक्निक कैम्पस विकास नगर, कानपुर, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए रू0 5000/— (रूपये पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, जो सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पक्ष में देय होगा, जमा करना होगा। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र को भरकर उसे निर्धारित अवधि के अन्दर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर के कार्यालय में जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर आवेदन पत्र में निर्देशित एवं चेकलिस्ट में दर्शाये गये सभी संलग्नकों सहित निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर को प्रेषित करना होगा। उसके साथ चार छाया प्रतियां भी सभी संलग्नकों सहित अर्थात कुल पांच प्रतियां निदेशालय में प्रेषित करनी होगी। आवेदन पत्र प्राप्त करनें एवं जमा किये जाने की अन्तिम तिथियों की सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से एवं दूरदर्शन/आकाशवाणी आदि पर प्रचारित/प्रसारित की जायेगी। निदेशक जनहित में एवं आवश्यकता के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त करनें एवं उसे जमा करने के सम्बन्ध में निर्धारित तिथियों में उचित परिवर्तन भी कर सकेंगे।

<u>घ—राजकीय डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें</u>

राजकीय संस्थायें तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अनुदानित संस्थायें निर्धारित "विधि एवं प्रक्रिया" का अनुपालन करके निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति के उपरान्त खोली जायेंगी।

<u>ड—निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें खोलने आदि के संबंध में</u>

1— भूमि, धरोहर धनराशि तथा निरीक्षण शुल्क की व्यवस्था आवेदक को शासनादेश के **संलग्नक**—2 में अंकित विवरण के अनुसार अनिवार्य रूप से करनी होगी। प्रथम दृष्टया प्रस्ताव ठीक पाये जाने पर संलग्नक—2 में अंकित की गयी धरोहर धनराशि निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर के पास बंधक रखनी होगी। आवेदक को निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क का बैंक ड्राफ्ट भी संलग्नक—2 के

अनुसार सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पक्ष में जमा करना होगा।

2– प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए भवन, उपकरणों, पुस्तकों एवं स्टाफ आदि के मानक प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित पाठ्यचर्या मानकों के अनुरूप ही होने चाहिए, जो कि संलग्नक–3 पर अवलोकनीय है। आवेदक को नयी संस्था खोलने एवं नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार ही समस्त व्यवस्थायें अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होंगी, परन्तु उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे पिछड़े क्षेत्र, जहां पर अभी तक डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें खुली ही नहीं हैं या बहुत कम संख्या में खुली हैं और अधिक संख्या में संस्थायें खोले जाने की आवश्यकता है, निजी उद्यमियों को नवीन एक वर्षीय अथवा दो वर्षीय अथवा दोनो संस्था खोलने अथवा नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपने विवेक का न्यायिक प्रयोग करते हुए कोई युक्ति–युक्त समय–सीमा प्रदान करते हुए संस्था को अतिरिक्त समय दे सकती है, बशर्ते कि संस्था निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को शपथ पत्र देते हुए मानकों को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय देने के लिए प्रार्थना पत्र दे तथा निदेशक संस्था के पक्ष में सद्भावनापूर्वक विश्वास कर अपनी संस्तुति शासन को प्रस्तुत करें। इस सम्बन्ध में शासन का निर्णय अंतिम होगा।

3– उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के पश्चात् ही निजी क्षेत्र की संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से "सम्बद्धता" प्राप्त करना विधिक रूप से अनिवार्य होगा तथा किसी निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा स्तरीय संस्था को स्वयं अपने छात्रों की परीक्षा लेने एवं डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद से "सम्बद्धता" प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही संस्था को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होगा और उसके विधिक कर्तब्य, दायित्व एवं अधिकार होंगे, परन्तु इन निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश शासन का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

4– प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से "सम्बद्धता" प्राप्त हो जाने के पश्चात् निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ही छात्रों से लेना होगा। यदि कोई संस्था निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क छात्रों से लेगी तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन समझा जायेगा एवं ऐसी संस्था को अपना लिखित एवं मौखिक पक्ष प्रस्तुत करने का युक्ति–युक्त एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करके उसके विरूद्ध नियमानुसार एवं सुगंत विधि के अन्तर्गत शासन द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में शासनादेश के संलग्नक–3 में अंकित विवरणानुसार शुल्क ही संस्था छात्रों से प्राप्त कर सकेगी। राज्य सरकार इस निर्धारित शुल्क में समय–समय पर संशोधन कर सकेगी तथा इसे संस्था व छात्र दोनों मानने के लिए बाध्य होंगे।

5– उपर्युक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां शासनादेश के संलग्नक–4 में दृष्टव्य समय–सारिणी के अनुसार निष्पादित की जायेंगी। परन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में निदेशक अपने विवेक का न्यायिक प्रयोग करते हुए इसमें युक्ति–युक्त शिथिलता प्रदान कर सकेंगे।

<u>च– उत्तर प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही</u>

नवीन संस्था की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही निम्नवत् की जायेगी :–

1– सर्वप्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र देना होगा। प्राप्त

आवेदन पत्रों का शासनादेश संख्या–1604/99–प्रा0शि0–3–46(81)/98, दिनांक 28.05.99 एवं शासनादेश संख्या–3918/सोलह–प्रा0शि0–3–46(81)/98, दिनांक 27.12.99 द्वारा गठित समिति परीक्षण करेगी और गुण–दोष के आधार पर अपनी संस्तुति निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को प्रस्तुत करेगी। निदेशक, प्राविधिक शिक्षा नवीन डिप्लोमा स्तरीय संस्था खोलने हेतु समिति की उक्त संस्तुति उत्तर प्रदेश शासन को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रेषित करेंगे।

2– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश की संस्तुति का गुण–दोष के आधार पर परीक्षण कर एवं निर्णय लेकर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा "अनापत्ति प्रमाण पत्र" निर्गत किया जायेगा।

3– उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिये जाने के पश्चात् निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा संबंधित संस्था को "लेटर आफ इन्टेन्ट" (इच्छा पत्र) जारी किया जायेगा। इस पत्र द्वारा संस्था को निदेशित किया जायेगा कि वह आवश्यक धरोहर धनराशि जमा करे तथा भवन, उपकरणों एवं पुस्तकों आदि की व्यवस्था करें। जब संस्था समस्त व्यवस्था पूर्ण कर लेगी तब वह निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क का बैंक ड्राफ्ट सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पक्ष में बनवाकर, जो लखनऊ में देय होगा, जमा करेगी।

4– तदुपरान्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के आदेश पर निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति संस्था का निरीक्षण करेगी एवं अपनी संस्तुति निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करेगी तथा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उसे राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे, जिसे शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

5– उपर्युक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां पूर्ण हो जाने पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के पश्चात् संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता प्रदान की जायेगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद से "सम्बद्धता" प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही संस्था को वैधता एवं विधिक व्यक्तित्व प्राप्त हो जायेगा।

6– प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सम्पादित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही छात्रों/छात्राओं को निजी डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रवेश दिये जायेंगे।

छ–पूर्व स्थापित पुरानी संस्थाओं में नया पाठ्यक्रम खोलने हेतु

नये पाठ्यक्रम खोलने संबंधी प्रस्ताव की आवश्यकता एवं उपादेयता के संबंध में निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर गुण–दोष के आधार पर अपनी आख्या एवं संस्तुति निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करेंगे। संस्था को आवेदन पत्र जमा करने की कार्यवाही उसी प्रकार करनी पड़ेगी जैसी कि नयी संस्था खोलने हेतु ऊपर निर्धारित है। "निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति" इस दृष्टि से निरीक्षण करेगी कि संस्था ने क्या अतिरिक्त व्यवस्था कर ली है, चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों में छात्रों के उत्तम शिक्षण एवं प्रशिक्षण की क्या–क्या व्यवस्था की गयी है तथा अध्यनरत छात्रों/छात्राओं के परीक्षा के परिणाम का स्तर कैसा रहा है या है ? संस्था ने छात्र/छात्राओं के सेवायोजन की दिशा में किन–किन उद्योगों आदि से संबंध स्थापित कर सेवायोजन की सम्भावनाओं को तलाशा है तथा संस्था में कैम्पस इन्टरव्यू कराया जाता है अथवा नहीं ? समिति यह भी देखेगी कि संस्था के पास योग्य स्टाफ एवं एक्सपर्ट फैकल्टी समुचित मात्रा में उपलब्ध है अथवा नहीं ? निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति की आख्या एवं संस्तुति का गुण–दोष के आधार पर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा परिशीलन करेंगे और संस्तुति को युक्ति–युक्त पाये जाने पर नये पाठ्यक्रम को खोलने के संबंध में निदेशक सम्पूर्ण तथ्यों से शासन को सूचित करते हुए नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के

संबंध में अपना प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करेंगे और शासन की अनापत्ति के पश्चात् ही संस्था में नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा सकेगा। इस प्रकार नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाना विधिक रूप से अनिवार्य होगा।

ज–सम्बद्ध संस्था में चल रहे पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि

प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए वही प्रक्रिया एवं कार्यवाहियां करनी होंगी जो नया पाठ्यक्रम खोलने हेतु ऊपर निर्धारित है। पुनः उल्लेखनीय है कि प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने का अधिकार एक मात्र शासन में निहित है।

इस प्रकार किसी भी डिप्लोमा स्तरीय संस्था को अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी संस्था के किसी भी पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता में वद्धि करने या उसे कम करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि संस्था प्रवेश क्षमता में वृद्धि करनी चाहती है अथवा कम करना चाहती है तो उसे उपर्युक्तानुसार कार्यवाहियां अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होंगी।

झ–पुरानी संस्था का अनुमोदन यथावत् बढ़ाये जाने हेतु

संस्था में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की बनाये रखने हेतु यह आवश्यक होगा कि प्राविधिक शिक्षा विभाग की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति प्रत्येक संस्था का बिना किसी चूक एवं विचलन के तीन वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण अनिवार्य रूप से करे। प्रत्येक निरीक्षण के लिए संस्था को निर्धारित निरीक्षण शुल्क भी जमा करना होगा। निदेशक, प्राविधिक शिक्षा का यह विधिक कर्तव्य एवं दायित्व होगा कि वह प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति के माध्यम से प्रत्येक संस्था का तीन वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायें। निदेशक, प्राविधिक शिक्षा शासन के निर्देश पर अथवा अपनी स्वतः प्रेरणा से कभी भी एवं किसी समय प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के कार्यकलापों के आकलन हेतु संस्थाओं का स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ किसी वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से निरीक्षण कर सकेंगे और निरीक्षण के पश्चात् गुण–दोष के आधार पर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेंगे। निदेशक की आख्या एवं संस्तुति का गुण–दोष के आधार पर परीक्षण कर एवं शासन द्वारा संस्था को सुनवाई का युक्ति–युक्त तथा पर्याप्त अवसर देकर प्रकरण में सम्यक् निर्णय लिया जायेगा। शासन का उक्त निर्णय अंतिम होगा।

त–वित्तीय प्रबन्धन

आवेदन पत्र एवं निरीक्षण शुल्क आदि से प्राप्त धनराशि सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ इस कार्य हेतु पृथकत: खोले गये चालू बैंक खाते में जमा करेंगे। इस धनराशि का व्यय सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश की स्वीकृति पर किया जायेगा। निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति के सदस्यों द्वारा संस्थाओं के निरीक्षण हेतु की जाने वाली यात्राओं आदि पर होने वाला यात्रा भत्ता आदि व्यय सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की संस्तुति पर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा आवश्यक धनराशि के भुगतान की कार्यवाही सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा की जायेगी।

थ–अन्य विविध उपबन्ध

(1) यदि संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों/आदेशों/नियमों/अधिनियमों तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के आदेशों/नियमों/विनियमों/निर्णयों आदि का पालन नहीं किया जाता है अथवा संस्था में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता

निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो निदेशक, प्राविधिक शिक्षा की संस्तुति पर शासन द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस लिये जाने पर विचार किया जायेगा, परन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस लेने के पूर्व शासन संबंधित संस्था को अपना पक्ष भी प्रस्तुत करने का युक्ति–युक्त एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने पर ऐसी संस्था की उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी, परन्तु सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश भी इस सम्बन्ध में अपने स्तर से एक आदेश संबंधित संस्था को निर्गत करेंगे।

(2) राजकीय/शासन द्वारा अनुदानित एवं निजी क्षेत्रों में स्थापित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से ही किये जायेंगे एवं अध्ययनरत छात्रों/छात्राओं की परीक्षा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा ही ली जायेगी तथा उत्तीर्ण छात्रों/छात्राओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा ही डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा।

(3) प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध किसी भी डिप्लोमा स्तरीय संस्था को स्वयं छात्रों को प्रवेश देने, उनकी परीक्षा लेने एवं उन्हें डिप्लोमा प्रमाण पत्र देने की स्वयत्तता एवं अधिकार किसी भी दशा में प्राप्त नहीं होगा। ये समस्त अधिकार जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में ही निहित होंगे।

(4) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 व इसमें समय–समय पर किये नये संशोधनों में अंकित विधिक प्राविधानों का पालन करने के लिए विधिक रूप से बाध्य होंगी।

(5) निजी क्षेत्र में खुलने वाली डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद से "सम्बद्धता" प्रदान करने के पूर्व सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद नोटरी के शपथपत्र पर संस्था से यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लेंगे कि वह सम्बद्धता प्राप्त होने के दिनांक से शासन के शासनादेशों, निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग के आदेशों एवं सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद तथा सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के समस्त आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी और विचलन की दशा में उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश शासन/निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश कानपुर सुसंगत नियम/विधि/शासनादेश के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही कर सकेंगे।

(6) प्रदेश में खुलने वाली ऐसी डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें, जो कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से नियमानुसार सम्बद्ध नहीं हैं और उन्हें खोलने या चलाने हेतु उनके पास विधिक रूप से भारत सरकार या उसके किसी वैध, सक्षम एवं प्राधिकृत संस्थान/प्राधिकारी से नियमानुसार सर्टीफीकेट/अनुमति आदि प्राप्त नहीं हैं, ऐसी संस्थायें अवैध संस्थायें मानी जायेंगी तथा ऐसी अवैध संस्थाओं के विरूद्ध निदेशक, प्राविधिक शिक्षा की आख्या एवं संस्तुति पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सुसंगत विधि के अन्तर्गत सम्यक् दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, परन्तु दण्डात्मक कार्यवाही करने के पूर्व सम्बन्धित संस्था को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्ति–युक्त एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किया जायेगा और तदुपरान्त गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(7) उपर्युक्त के अतिरिक्त यदि इस नीति के विषय से संबंधित कोई ऐसा विचारणीय बिन्दु उद्भूत होता है जो कि इस नीति के प्राविधानों में सम्मिलित नहीं किया गया है तो उसके सम्बन्ध में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को ऐसे सुसंगत तथ्यों से अवगत करायेंगे और उसके सम्बन्ध में शासन का निर्णय अन्तिम होगा।

(8) संस्था को निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश के किसी भी निर्णय/आदेश के विरूद्ध उसके

पारित होने के दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में अपील प्रस्तुत करने का अधिकार होगा और यदि शासन गुण–दोष के आधार पर सुनवाई करके उसे संस्था के विरूद्ध निर्णीत करता है तो संस्था को 30 दिन के अन्दर विधि या तथ्य की तात्विक त्रुटि के आधार पर शासन में पुनः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होगा और शासन पुनः संस्था को अपना लिखित एवं मौखिक पक्ष प्रस्तुत करने का युक्ति–युक्त एवं पर्याप्त अवसर देकर गुण–दोष के आधार पर उस पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को निर्णीत करेगा। इसके पश्चात् कोई अन्य पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र/मेमोरियल शासन स्तर पर विचारण एवं निर्णय हेतु ग्राह्य नहीं होगा।

(9) इस शासनादेश के द्वारा निर्धारित प्राविधानों, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 एवं इसमें समय–समय पर किये गये संशोधन में अंकित विधिक प्राविधानों में यदि कोई विरोधाभास उद्भूत होता है तो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 के प्राविधान अधिभावी एवं मान्य होंगे।

(10) डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों को संचालित करने के संबंध में भूमि, धरोहर धनराशि एवं निरीक्षण शुल्क के संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जो मानक निर्धारित किये जायेंगे वे उत्तर प्रदेश राज्य की समस्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं पर पूर्णतया लागू होंगे।

संलग्नक–4

भवदीय

ह0

(जी0 पी0 मिश्रा)

विशेष सचिव

संख्या–3063 {1}/सोलह–प्रा0शि0–3–2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– निजी सचिव,प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
3– निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4– अध्यक्ष एवं सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
5– क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, नवाबगंज, कानपुर।
6– अध्यक्ष/सचिव, फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली।
7– अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, लखनऊ।
8– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय लखनऊ को साधरण गजट में प्रकाशित किए जाने हेतु।
9– निदेशक, आई0 आर0 डी0 टी0, कानपुर।
10– वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश कानपुर।
11– निदेशक, आई0 ई0 आर0 टी0, इलाहाबाद।
12– रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश, विकासदीप,लखनऊ।

13– डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स कापुर मंडल, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, वाराणसी मंडल, फैजाबाद मंडल,बरेली मंडल, इलाहाबाद मंडल, आगरा मंडल, गोरखपुर मंडल, एवं आाजमगढ़ मंडल।

14– निदेशक, ए0 आई0 टी0 एच0, कानपुर।

15– सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

16– सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

17– संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

18– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, अनुदानित पालीटेक्निक एवं निजी पालीटेक्निक संस्थाओं को निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर के माध्यम से सूचनार्थ।

19– प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 एवं 2 उत्तर प्रदेंश शासन।

20– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0
{जितेन्द्र राम त्रिपाठी}
अनुसचिव

संख्या–3063 / सोलह–प्रा0शि0–3–2003–46{8} / 2002 दिनांक 20.12.2003 का
सलग्नक–1

राज्य स्तरीय एक वर्षीय एवं दो वर्षीय संचालित किये जाने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का विवरण जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित है।

1– **एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम**
{न्यूनतम प्रवेश अर्हता– स्नातक}
{1} पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायो टेक्नॉलाजी {टिशू कल्चर}
{2} पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग ऐण्ड सेल्स मैनेजमेंट
{3} पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ब्यूटी ऐण्ड हेल्थ केयर
{4} पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवरटाइजिग ऐण्ड पब्लिक रिलेशन
{5} पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट
{6} पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूरिज्म ऐण्ड ट्रवेल मनेजमेंट
{7} पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैशन टेक्नालॉजी
{8} पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग

2– **एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम**
{न्यूनतम प्रवेश अर्हता– इंजीनियरिंग डिप्लोमा}
{1} पोस्ट डिप्लोमा इन इण्डस्ट्रियल सेफ्टी
{2} पोस्ट डिप्लोमा इन इन्फार्मेशन टेक्नॉलाजी

3– **दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम**
{न्यूनतम प्रवेश अर्हता– स्नातक}
{1} पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन

4– **दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम**
{न्यूनतम प्रवेश अर्हता– इण्टरमीडियट {हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियट दोनों में हिन्दी एवं अग्रेजी भाषा सहित}
{1} माडर्न आफिस मनेजमेंट ऐण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस
{2} लाइब्रेरी ऐण्ड इन्फार्मेशन साइंस

5– **दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम**
{न्यूनतम प्रवेश अर्हता– हाईस्कूल}
{1} होम साइंस
{2} गारमेंट टेक्नॉलाजी

निदेशक, शोध विकास प्रशिक्षण संस्थान, पाठ्यचर्या समिति एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की संस्तुति तथा अनुमोदन के आधार पर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में समय-समय पर राज्य सरकार की स्वीकृति से संशोधन कर सकेंगे।

ह0
{जितेन्द्र राम त्रिपाठी}
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या–3063/सोलह–प्रा0शि0–3–2003–46{8}/2002 दिनांक 20–12–2003 का संलग्नक–2

राज्य स्तरीय एक वर्षीय एवं दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यकमों को संचालित करने के संबंध मे भूमि, धरोहर धनराशि एवं निरीक्षण शुल्क का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मानक

क0 सं0	पाठ्यकम का नाम	न्यूनतम भूमि की आवश्यकता {एकड़ में}		धरोहर धनराशि	निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क {कम से कम प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार}
		मेट्रो सिटी/ राजधानी में	अन्य स्थानों में		
1	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक वर्षीय एवं दो वर्षीय समस्त डिप्लोमा पाठ्यकम परंतु 'डिप्लोमा इन फार्मेसी' पाठ्यकम को छोड़कर	0.5	1.5	10 लाख	15 हजार

संस्था हेतु विभिन्न भवनों जैसे– प्रशासनिक, एकैडेमिक, छात्र सुविधाओं, शिक्षण एवं शिक्षणेतर स्टाफ तथा उनकी शैक्षिक अर्हता, प्रयोगशाला एवं उपकरण आदि के नार्म्स ए0आई0सी0टी0ई0 के अनुरूप ही होंगें।

ह0
{जितेन्द्र राम त्रिपाठी}
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या–3063/सोलह–प्रा0शि0–3–2003–46{8}/2002दिनांक 20–12–2003 का संलग्नक–3

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित फीस, जो कि निजी क्षेत्र में स्थापित एक वर्षीय एवं दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय पालीटेक्निक संस्थाओं द्वारा ली जायेगी

1. शिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष	रू0	12,000/–
2. विकास शुल्क प्रतिवर्ष	रू0	1,000/–
3. अन्य शुल्क {छात्र निधि शुल्क प्रतिवर्ष}	रू0	1,500/–
कुल योग	रू0	14,500/– प्रतिवर्ष

उक्त के अतिरिक्त छात्रों से प्रवेश के समय एक बार रूपया 1000/– {एक हजार रूपया मात्र} की धनराशि प्रतिभूति के रूप में ली जायेगी, जो कि पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के समाप्त होते ही संबंधित छात्र को नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। उक्त निर्धारित शुल्क रूपया 14,500/– में छात्रावास शुल्क तथा परीक्षा शुल्क सम्मिलित नहीं है। छात्रावास शुल्क निजी पालीटेक्निक संस्था द्वारा स्वयं निर्धारित किया जायेगा एवं परीक्षा शुल्क उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

2– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित फीस, जो कि एक वर्षीय एवं दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संचालित करने के संबंध में राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं द्वारा ली जायेगी

1 शिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष	रू0 6,000/–
2. छात्र निधि शुल्क प्रतिवर्ष	रू0 3,350/– (छात्रावास सहित) रू0 1,450/– (छात्रावास रहित)
3. सैत्रिक परीक्षा शुल्क प्रतिवर्ष	प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा निर्धारित की गयी फीस
कुल योग	रू0 9,350/– प्रतिवर्ष

छात्र निधि शुल्क में छात्रावास शुल्क, सैत्रिक शुल्क एवं प्रतिभूति सम्मिलित हैं। जिन संस्थाओं में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है अथवा जिन छात्रों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है, उनसे छात्र निधि शुल्क रू0 3350/– के स्थान पर केवल रू0 1450/– लिया जायेगा।

3– राज्य सरकार कभी भी और किसी भी समय जनहित में उक्त निर्धारित शुल्कों में परिवर्तन कर सकेगी तथा उसे सभी डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें {राजकीय पालीटेक्निक, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित पालीटेक्निक एवं निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा स्तरीय पालीटेक्निक संस्थायें} मानने के लिए बाध्य होंगी ।

ह0
{जितेन्द्र राम त्रिपाठी}
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या–3063/सोलह–प्रा0शि0–3–2003–46{8}/2002दिनांक 20–12–2003 का संलग्नक–4

राज्य स्तरीय एक वर्षीय एवं दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने के संबंध में विभिन्न कार्यवाहियों के निष्पादन हेतु समय सीमा का निर्धारण

क्रमांक	विवरण	अंतिम तिथि
1.	विज्ञापन का प्रकाशन	31 अक्टूबर तक
2.	आवेदन पत्र का विक्रय एवं उसे जमा करने की तिथि	1 नवम्बर से 30 नवम्बर तक
3.	आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग{ एन0ओ0सी0, भूमि एवं भवन तथा वित्तीय प्रास्थिति का मौलिक अभिलेखों के आधार पर }	15 दिसम्बर तक
4.	निरीक्षण शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क को जमा किये जाने के संबंध में रजिस्टर्ड पत्र निर्गत किया जाना।	25 दिसम्बर तक
5.	एन0ओ0सी0 निर्गत किये जाने के संबंध में निदेशक की संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जाना	5 जनवरी तक
6.	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एन0ओ0सी0 प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	5 फरवरी तक
7.	संस्थान/संस्था का निरीक्षण { भूमि, उपकरणों एवं वित्तीय प्रास्थिति का भौतिक सत्यापन}	28 फरवरी तक
8.	राज्य स्तरीय समिति की संस्तुति को उत्तर प्रदेश शासन को भेजा जाना	20 मार्च तक
9.	राज्य सरकार का अंतिम अनुमोदन	30 अप्रैल तक
10.	प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता का पत्र निर्गत किया जाना	30 मई तक

ह0
{जितेन्द्र राम त्रिपाठी}
अनुसचिव।